न्यायालय उप जिलाधिकारी महावन जनपद मथुरा।

वाद संख्या 14 /2016–17

हरदमसिंह वैदिक कालेज अवैरनी द्वारा प्रबन्धक चन्द्रशेखर बनाम उत्तर प्रदेश सरकार
धारा 80 राजस्व संहिता 2006
मौजा अवैरनी तहसील महावन

आदेश

प्रार्थी हरदमसिंह वैदिक कालेज अवैरनी द्वारा प्रबन्धक चन्द्रशेखर पुत्र श्री हरदम सिंह नि0 अवैरनी, तहसील महावन काश्तकार मौजा अवैरनी तहसील महावन जिला मथुरा ने धारा 80 राजस्व संहिता 2006 के अंतर्गत आबादी घोषणा हेतु अपना प्रार्थना पत्र दिनांक 13.06.2017 को इस कथन के साथ प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी मौजा अवैरनी के खाता संख्या 873 खसरा संख्या 1353/0.227 है0, 1365/0.413 है0, 1444ब/0.235 है0 कुल 3 किता रकवा 0.875 है0 लगान 43.20 रू0 में से रकवा 0.291 है0 पर बतौर संक्रमणीय भूमिधर सहखातेदार दर्ज राजस्व अभिलेख हैं। यह कि उक्त आराजी अविवादित है तथा उक्त भूमि पर कालेज बना हुआ हैं तथा कालेज के प्रयोग में आ रही है। उक्त भूमि को प्रार्थी कागजात माल में अकृषिक दर्ज कराना चाहता हैं। यह कि उक्त आराजी कृषि अथवा कृषि से संबंधित कार्य, बागवानी, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन आदि के प्रयोजन में नही लाई जा रही है। यह कि उक्त आराजी को किसी विभाग द्वारा अधिग्रहण नहीं किया गया है। अंत में अपनी उक्त आराजी को अकृषिक घोषित कर कागजात माल में अमलदरामद कराए जाने की याचना की है। प्रार्थना पत्र के साथ नकल खतौनी वर्ष 1408–1413 फसली, स्थल का फोटोग्राफ तथा अपने कथन समर्थित शपथपत्र संलग्न किया है। इस प्रकरण में तहसीलदार, महावन को उक्त खसरा नंबर व रकवा की स्थलीय व अभिलेखीय जॉच कर आख्या उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया। तहसीलदार से प्राप्त जॉच आख्या दिनांक 16.06.2017 पत्रावली पर उपलब्ध है।

चूँकि जॉच अधिकारी/ तहसीलदार, महावन की जॉच रिपोर्ट दिनांक 16.06.2017 से यह समाधान हो जाता है कि मौजा अवैरनी के खाता संख्या 873 खसरा संख्या 1353/0.227 है0, 1365/0.413 है0, 1444ब/0.235 है0 कुल 3 किता रकवा 0.875 है0 में से रकवा 0.291 है0 पर प्रार्थी हरदमसिंह वैदिक कालेज अवैरनी द्वारा प्रबन्धक चन्द्रशेखर पुत्र श्री हरदम सिंह नि0 अवैरनी, तहसील महावन काश्तकार मौजा अवैरनी तहसील महावन जिला मथुरा का नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज राजस्व अभिलेख है। नकल खतौनी 1408–1413 फसली संलग्न है। उक्त गाटा नंबर मौके पर कृषि या इससे सबंधित कार्य के उपयोग में नहीं है और स्थल पर कोई फसल नहीं है। मौके पर उक्त भूमि कालेज के प्रयोग में आ रही है। उक्त भूमि में आपासी के साधन समाप्त हो चुके हैं और उक्त भूमि किसी सरकारी संस्था के अन्तर्गत अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित नहीं है। प्रश्नगत भूमि धारा 132 ज0वि0अधि0 में समाविष्ट भूमि आदि में सम्मिलित नहीं है। तहसीलदार महावन/जॉच अधिकारी ने उक्त भूमि को अकृषिक घोषित किए जाने हेतु उ0प्र0 राजस्व संहिता–2006 की धारा 80 के अंतर्गत नियत प्रारूप पर आख्या मय संस्तुति प्रेषित की है। अतः तहसीलदार महावन/जॉच अधिकारी से प्राप्त आख्या के आधार पर उक्त भूमि को निम्नवत अकृषिक प्रख्यापित किया जाता है :–

1–धारा जिसके अंतर्गत घोषणा की जा रही है –	धारा 80 उ0प्र0 राजस्व संहिता–2006
2–मौजा जहॉ भूमि स्थित है –	मौजा अवैरनी
3–खसरा सं0/रकवा जिसे अकृषिक घोषित किया जा रहा है–	खसरा सं01353,1365,1444ब रकवा 0.291है0
4–भू–राजस्व	भागानुसार

जॉच अधिकारी/तहसीलदार महावन से प्राप्त जॉच आख्या इस आदेश का अंश रहेगी। आदेश की प्रति तहसीलदार महावन को तदनुसार कागजात माल में अमलदरामद कराए जाने तथा उप निबंधक महावन को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाए। बाद आवश्यक कार्यवाही वाद पत्रावली दाखिल दफ्तर होवे।

दिनॉक: /2017

17.06.17

(गरिमा सिंह)
उप जिलाधिकारी
महावन